अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजेन्द्र कुमार
2. नरेन्द्र कुमार — पिसरान श्री सुलतानराम — कौम जाट निवासीयान गांव
3. लोकेश सहारण पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार — दौलतपुरा तह .व जिला श्रीगंगानगर

—— वादीगण

बनाम

1. सुलतानराम पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. श्रीमती इन्द्रा देवी (पुत्री श्री सुलतानराम) पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी गांव रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. श्रीमती शारदा देवी (पुत्री श्री सुलतानराम) पत्नी श्री राजेश कुमार जाति जाट निवासी गांव रामसरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. श्रीमती अन्जु (पुत्री श्री सुलतानराम) पत्नी श्री भुपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गांव बाण्डीवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री ऋषिपाल जोशी (वादीगण)
श्री विजय कुमार भाटी (प्रति.—1 ता 4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी—5)

दिनांक 10.05.2018

— निर्णय —

वाद पत्र के अनुसार चक 6 क्यू ५टवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 ता 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 6.325 है.{6.200 है. नहरी + 0.125 है. खाला},मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 13/2(0.114 है.), 14(0.253 है.), 15/1(0.098 है.), 16/2(0.098 है.), 17 ता 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(0.228 है.) = 1.550 हैक्टयर कुल 7.875 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 व 2 के पिताजी तथा वादी संख्या 3 के दादाजी (सुलतान पुत्र सहीराम) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी संख्या 1 व 2 के दादाजी व वादी संख्या 3 के पड़दादाजी सहीराम पुत्र हजारी राम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 281 दिनांक 20/12/2010 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व उनके भाईयो व बहनो के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के भाईयो व बहनो द्वारा किए गए हकत्याग इन्तकाल संख्या 293 दिनांक 05/07/2011 एवं विभाजन इन्तकाल संख्या 333 दिनांक 15/02/2013 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई । प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने पिताजी सहीराम से प्राप्त हुई होने के कारण विरासतन जायदाद है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

करवाने के अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है जिसमें नामान्तरण संख्या 281 दिनांक 20/12/2010 व 293 दिनांक 05/07/2011 तथा 333 दिनांक 15/02/2013 दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के दो पुत्र (राजेन्द्र कुमार व नरेन्द्र कुमार) है तथा तीन पुत्रीयां इन्द्रा देवी, शारदा व अन्जु (प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 6 क्यू की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुलतानराम कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 13/2(0.114है.), 14(0.253है.), 15/1(0.098है.), 16/2(0.098 है.), 17 ता 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20 (0.228 है.) = 1.550 हैक्टयर नहरी.
नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुलतानराम कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1(0.025है.), 10(0.025है.), 11(0.057है.), 16(0.253 है.{0.228 है. नहरी + 0.025 है. खाला}), 17 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.253 है.{0.228 है. नहरी + 0.025 है. खाला}) = 2.637 हैक्टयर {2.587 है. नहरी + 0.050 है. खाला }
लोकेश सहारण पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1(0.051 है.{किला नम्बर 2 से चिपती हुई}) 2 ता 4 (प्रत्येक में 0.253 है.), 5(0.253 है.{0.228 है. नहरी + 0.025 है. खाला}) = 1.063 है. {1.038 है. नहरी + 0.025 है. खाला}
सुलतानराम पुत्र सहीराम कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1(0.177है.), 6(0.253है.{ 0.228 है. नहरी + 0.025 है. खाला}), 7 ता 9 (प्रत्येक में 0.253है.), 10(0.228 है.), 11(0.196 है.), 12 ता 14 (प्रत्येक में 0.253 है.) 15(0.253 है.{0.228 है. नहरी + 0.025 है. [illegible] = 2.625 हैक्टयर {2.575 है. नहरी [illegible]

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है । उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुलतानराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया है –

(क) चिक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 में प्रतिवादी संख्या 1 सुलतान पुत्र सहीराम के नाम दर्ज 7.875 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिए अधिवक्ता दिनांक 20 मार्च, 2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की ओर से इकबालिया जवाब दावा दिनांक 26.03.2018 को पेश हुआ। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प दौलतपुरा में स्टेट की ओर से पैरोकार राज द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया ।

पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलेकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प दौलतपुरा में पेश हुए एवं राजीनामा के आधार पर वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

।। आदेश ।।

वादी का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाद वादी निम्नानुसार डिकी किया जाता है :–

चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 13/2(0.114है.), 14(0.253है.), 15/1(0.098है.), 16/2(0.098 है.), 17 ता 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20 (0.228 है.)= 1.550 हैक्टयर नहरी, वादी सं. 1 राजेन्द्र कुमार को तथा चक 6 क्यू [illegible] दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान [illegible] 2066–2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर [illegible] 16/0.253 है.[illegible]
[illegible]

चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066--2069 के खाता संख्या 44/38 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1(0.051 है.{किला नम्बर 2 से चिपती हुई}) 2 ता 4 (प्रत्येक में 0.253 है.), 5(0.253 है.{0.228 है. नहरी + 0.025 है. खाला}) = 1.063 है. {1.038 है. नहरी + 0.025 है. खाला} वादी संख्या 3 लोकेश सहारण को खातेदार घोषित किया जाता है।

वादव्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.05.2018 को जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर